अनुदान संख्या 99 – युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
GRANT No. 99 - MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत– Saving -
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	2138,31,00		2138,56,00	1847,21,14	-291,34,86
पूरक	Supplementary	25,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					291,49,38
पूंजीगतः	**Capital:**					
स्वीकृत–	Voted-			58,04,00	68,25	-57,35,75
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					57,35,75

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, अभ्यर्पित राशि (₹29149.38 लाख) ₹29134.86 लाख की कुल बचतों से अधिक हो गई।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the amount surrendered (₹29149.38 lakhs) exceeded the overall savings of ₹29134.86 lakhs.

Savings/excess occurred under the following major heads:

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2204"	Major Head "2204"				
खेलकूद और युवा सेवाएं	Sports and Youth Services				
मू.	O.	193515.00	181933.29	181938.08	+4.79
पू.	S.	22.00			
पु.	R.	-11603.71			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
पूर्वोत्तर क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	17316.00			
पू.	S.	3.00	..	..	..
पु.	R.	-17319.00			

(I) ₹20698.00 लाख का प्रावधान (जुलाई, 2018 दिसंबर, 2018 और फरवरी, 2019 में प्राप्त किए गए ₹3.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) अठारह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹19274.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:—

(का) मुख्य शीर्ष "2204" — "खेलकूद और खेल — राष्ट्रीय खेल कोचिंग केंद्र" — ₹3000.00 लाख — संशोधित स्कीम को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण।

(खा) मुख्य शीर्ष "2552" —

(क) "खेलकूद और युवा सेवाएं — निदेशन और प्रशासन — नेहरू युवा केन्द्र संगठन" — ₹1800.00 लाख;

(ख) "खेलकूद और युवा सेवाएं — छात्रों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम" —

(i) "राष्ट्रीय सेवा स्कीम" — ₹954.60 लाख;

(ii) "राष्ट्रीय युवा कोर" — ₹800.00 लाख;

(ग) "खेलकूद और युवा सेवाएं — खेलकूद और खेल" —

(i) "भारतीय खेल प्राधिकरण" — ₹4296.00 लाख;

(I) Provision of ₹20698.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹3.00 lakhs obtained in July, 2018, December, 2018 and February, 2019) remained wholly unutilised under eighteen heads; of these ₹19274.00 lakhs accounted for under the following major heads:

(A) Major Head "2204" - "Sports and Games- National Centre for Sports Coaching"- ₹3000.00 lakhs - due to non-finalization of the revised scheme.

(B) Major Head "2552"

(a) "Sports and Youth Services- Direction and Administration- Nehru Yuva Kendra Sangathan"- ₹1800.00 lakhs;

(b) "Sports and Youth Services-Youth Welfare programme for Students"-

(i) "National Service Scheme"- ₹954.60 lakhs;

(ii) "National Youth Corps" - ₹800.00 lakhs;

(c) "Sports and Youth Services - Sports and Games" -

(i) "Sports Authority of India"- ₹4296.00 lakhs;

(ii) "लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान" – ₹875.00 लाख (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(iii) "पूर्वोत्तर में खेल विश्वविद्यालय" – ₹886.00 लाख;

(iv) "खेलो इंडिया" – ₹3891.30 लाख (₹0.30 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(घ) "अनुसूचित जातियों विशेष संघटक योजना" –

(i) "अनुसूचित जाति विकास स्कीम" – ₹1395.40 लाख; (₹0.40 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(ii) "स्वायत्त निकायों को अनुदान" – ₹810.00 लाख; और

(ङ) "जनजातीय क्षेत्र उप योजना – संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के परंतुक के अंतर्गत अनुदान" – ₹565.70 लाख (₹0.30 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित)।

उपर्युक्त दस शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने तथा शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "2204" के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:–

(का) "गैर–छात्रों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम" –

(क) "राष्ट्रीय युवा कोर" – ₹2784.82 लाख की बचत (₹5150.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)

(ii) "Laxmibai National Institute of Physical Education"- ₹875.00 lakhs (including token supplementary grant of₹1.00 lakh);

(iii) "Sports University in North East"- ₹886.00 lakhs;

(iv) "Khelo India" - ₹3891.30 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.30 lakh);

(d) "Special Component Plan for Scheduled Castes" -

(i) "Scheme for the development of scheduled castes" - ₹1395.40 lakhs (including token supplementary grant of₹0.40 lakh);

(ii) "Grants to Autonomous Bodies" - ₹810.00 lakhs; and

(e) "Tribal Area Sub-Plan - Grants under Proviso to article 275(1) of the constitution"- ₹565.70 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.30 lakh).

Provisions under the above ten heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Under Major Head "2204"- savings occurred under the following heads:

(A) "Youth Welfare Programmes for Non students"-

(a) "National Youth Corps" - saving of ₹2784.82 lakhs (against the sanctioned

राष्ट्रीय युवा कोर स्वयंसेवकों की भर्ती प्रक्रिया पूरी न होने के कारण हुई।

(ख) "युवा नेता कार्यक्रम" – ₹563.03 लाख की बचत (₹1295.50 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) ग्राम स्तर पर समीपवर्ती युवा संसद का संचालन किए जाने, परामर्शदायी परिषद का गठन न होने तथा पुरस्कार न दिए जाने के कारण हुई।

(खा) "खेलकूद और खेल" –

(क) "खेलकूद उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए सहायता" – ₹7521.92 लाख की बचत (₹26000.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारतीय खेल प्राधिकरण/राष्ट्रीय खेल परिसंघों से व्यवहार्य प्रस्तावों की कम प्राप्ति होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कमी किए जाने के कारण हुई।

(ख) "जम्मू और कश्मीर में खेलकूद सुविधा में वृद्धि" – ₹1643.00 लाख की बचत (₹5000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकार की नोडल एजेंसी अर्थात् जम्मू और कश्मीर राज्य खेल परिषद और पीएमसी द्वारा कार्य की धीमी प्रगति के कारण हुई।

(ग) "खेलो इंडिया" – ₹7495.47 लाख की बचत (फरवरी, 2019 में प्राप्त किए गए ₹0.10 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹35003.10 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन एजेंसियों से व्यवहार्य प्रस्तावों तथा अपेक्षित दस्तावेज की प्राप्ति न होने के कारण हुई।

(घ) "राष्ट्रीय खेल विज्ञान तथा अनुसंधान केंद्र" – ₹1817.38 लाख की बचत (₹3850.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रशासनिक कारणों

provision of ₹5150.00 lakhs) was due to non-completion of process of recruitment of National Youth Corps Volunteers.

(b) "Young Leader Programme"- saving of ₹563.03 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1295.50 lakhs) was due to conduction of neighborhood Youth Parliament at village level, non-constitution of Advisory Council and non-conferring of awards.

(B) "Sports and Games"-

(a) "Assistance to Promotion of Sports Excellence"- saving of ₹7521.92 lakhs (against the sanctioned provision of ₹26000.00 lakhs) was due to less receipt of viable proposals from Sports Authority of India /National Sports Federations and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(b) "Enhancement of Sports Facility at J&K"- saving of ₹1643.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5000.00 lakhs) was due to slow progress of work by the Nodal Agency of State Government i.e. Jammu & Kashmir State Sports Council and the PMC.

(c) "Khelo India"- saving of ₹7495.47 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹35003.10 lakhs including token supplementary grant of ₹0.10 lakh obtained in February, 2019) was due to non-receipt of viable proposals and required documents from the Implementing Agencies.

(d) "National Centre of Sports Science and Research"- saving of ₹1817.38 lakhs (against the sanctioned provision of

से उपकरणों/कम्प्यूटरों/पुस्तकों की अधिप्राप्ति को मूर्त रूप न दिए जाने के कारण हुई।

₹3850.00 lakhs) was due to non-materialization of procurement of equipments /computers/books owing to administrative reasons.

(गा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना" –

(C) "Special Component Plan for Scheduled Castes"-

(क) "खेल तथा युवा सेवाएं – छात्रों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम" – ₹984.29 लाख की बचत (₹3397.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पैनलबद्ध प्रशिक्षण संस्थानों के दिशानिर्देश में संशोधन के कारण प्रस्तावों की प्राप्ति न होने और मानदेय, भर्ती प्रशिक्षण तथा पुनश्चर्या प्रशिक्षण के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(a) "Sports and Youth Services-Youth Welfare Programme for Students"- saving of ₹984.29 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3397.00 lakhs) was due to non-receipt of proposals owing to revision of empanelled training institutes guidelines and requirement of less funds towards honorarium, induction training and refresher training.

(ख) "खेलकूद और खेल सेवाएं – खेलकूद और खेल" – ₹6589.92 लाख की बचत (फरवरी, 2019 में प्राप्त किए गए ₹0.15 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹20684.15 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन एजेंसियों से व्यवहार्य प्रस्तावों तथा अपेक्षित दस्तावेज की प्राप्ति न होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कमी के जाने के कारण हुई।

(b) "Sports and Youth Services-Sports and Games"- saving of ₹6589.92 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹20684.15 lakhs including token supplementary grant of ₹0.15 lakh obtained in February, 2019) was due to non-receipt of viable proposals and required documents from the implementing agencies and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(घा) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – खेलकूद और युवा सेवाएं – खेलकूद और खेल" – ₹3164.55 लाख की बचत (फरवरी, 2019 में प्राप्त किए गए ₹0.15 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹10767.15 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यवहार्य प्रस्तावों, उपयोग प्रमाणपत्रों की प्राप्ति न होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कमी किए जाने के कारण हुई।

(D) "Tribal Area Sub-Plan - Sports and Youth Services-Sports and Games"- saving of ₹3164.55 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹10767.15 lakhs including token supplementary grant of ₹0.15 lakh obtained in February, 2019) was due to non-receipt of viable proposals, utilization certificates and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(III) चार शीर्षों के अंतर्गत ₹1570.93 लाख की बचतें हुई, जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक परंतु ₹500.00 लाख से कम और स्वीकृत प्रावधान का 21 प्रतिशत से 97 प्रतिशत तक थीं।

(III) Under four heads savings of ₹1570.93 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 21 percent to 97 percent of the sanctioned provision.

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹21597.60 लाख) प्रयुक्त हो गई जैसा कि जुलाई, 2018 और फरवरी, 2019 में मुख्य शीर्ष "2204" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के तहत ₹3.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:–

(का) "निदेशन और प्रशासन – नेहरू युवा केन्द्र संगठन" – ₹5039.36 लाख।

(खा) "शारीरिक शिक्षा – लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर" – ₹873.74 लाख।

(गा) "खेलकूद और खेल" –

(क) "भारतीय खेल प्राधिकरण" – ₹2884.85 लाख।

(ख) "राष्ट्रमंडल खेल" – ₹12449.95 लाख।

(ग) "राष्ट्रीय डोप जांच प्रयोगशाला" – ₹349.70 लाख।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "2204" – "खेलकूद और खेल – खिलाड़ियों को प्रोत्साहन" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गई थीं – ₹3970.73 लाख का अधिक व्यय (₹2100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विशेष नकद पुरस्कार के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता और प्रतिभावान पेंशन स्कीमों के अंतर्गत पेंशन में संशोधन के कारण हुआ।

(III) तीन शीर्षों के अंतर्गत ₹1229.98 लाख का अधिक व्यय हुआ, जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक परन्तु ₹500.00 लाख से कम और स्वीकृत प्रावधान का 13 प्रतिशत से 900 प्रतिशत तक था।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:–

2.(I) The above savings were partly (₹21597.60 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹3.00 lakhs in July, 2018 and February, 2019 under Major Head "2204" - under the following heads:-

(A) "Direction and Administration- Nehru Yuva Kendra Sangathan"- ₹5039.36 lakhs.

(B) "Physical Education-Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior"- ₹873.74 lakhs.

(C) "Sports and Games"-

(a) "Sports Authority of India"- ₹2884.85 lakhs.

(b) "Commonwealth Games"- ₹12449.95 lakhs.

(c) "National Dope Test Laboratory" - ₹349.70 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "2204" - "Sports and Games - Incentive to Sports Persons"- excess of ₹3970.73 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2100.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards Special Cash Awards and revision of pension under meritorious pension schemes.

(III) Under three heads excess of ₹1229.98 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 13 percent to 900 percent of the sanctioned provision

3. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major head:-

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "4552" पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	5529.00	..	..	..
पु.	R.	-5529.00			

(I) ₹5729.00 लाख का प्रावधान तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹5514.00 लाख अकेले "शिक्षा, खेलकूद, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय–अन्य व्यय–पूर्वोत्तर में खेलकूद विश्वविद्यालय" – के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of ₹5729.00 lakhs remained wholly unutilised under three heads; of these ₹5514.00 lakhs alone accounted for under "Capital outlay on Education, Sports, Art and Culture-Other Expenditure - Sports University in North East" - due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.